सं0243/V-शा0वि0-06-208(सा0)/2005टी.सी.

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग: देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2006

विषय : नगर पालिका विकास नगर सीमान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 123 के दोनों ओर फुटपाथ एवं डिवाईडर के निर्माण हेतु वर्ष–2006–07 में वित्तीय, प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पालिका विकास नगर सीमान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 123 के दोनों ओर फुटपाथ एवं डिवाईडर के निर्माण हेतु वर्ष–2006–07 में रू0–497.80 लाख की लागत के आगणन के विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0–443.85 लाख (रूपये चार करोड़ तैंतालिस लाख पिचासी हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उक्त धनराशि आपके द्वारा समस्त तकनीकी आवश्यकताओं को पूर्ण करके चार समान किश्तों में पूर्व स्वीकृत किश्त का पूर्ण उपयोग करने के बाद आगामी किश्त आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था, अधीक्षण अभियंता रा0मा0वृत्त, लोक निर्माण विभाग देहरादून, को बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

2– उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है।किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नही किया जायेगा।

3– स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओं/कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

4– सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी के अधीक्षण अभियंता/ अधिशासी अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

5– स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक

18— उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष—2006—07 के आय व्ययक के अनुदान सं0—13, लेखाशीर्षक—2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—आयोजनागत—191—स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता—03—नगरों का समेकित विकास—05—नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास—20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

19— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0—317/XXVII(2)/2006,दिनांक—14 जुलाई, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

सं0 2413/V-श0वि0—06,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तरांचल, देहरादून।
2— स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4— निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी को मा0 मंत्रीजी के सूचनार्थ।
5— वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6— जिलाधिकारी, देहरादून।
7— अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0, बड़कोट।
8— वित्त अनुभाग—2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,बजट अनुभाग,उत्तरांचल शासन।
9— निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10— अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, विकासनगर ।
11— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(एम0के0जोशी)
अपर सचिव।

(मायावती ढकरियाल)
अनुसचिव
शहरी विकास
उत्तरांचल शासन

सं0 652/V-श0वि0-06-77(सा0)/06

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तरांचल देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग: देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2006

विषय : नगर पालिका परिषद श्रीनगर के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से प्रस्तावित कार्यो हेतु वर्ष 2006-07 में प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के संबधमें।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पालिका परिषद श्रीनगर, जनपद पौढी गढवाल के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से संलग्न सूची में उल्लिखित कार्यो हेतु प्रस्तुत रू0-297.87 लाख की लागत के आगणन विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0-233.05 लाख (रूपये दो करोड़ तैंतीस लाख पांच हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बधित कार्यदायी संस्थाओ को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

2- अवस्थापना विकास मद से स्वीकृत की जा रही धनराशि को स्थानीय निकायों के द्वारा अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी का संयुक्त रूप से एक पृथक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोल कर जमा किया जायेगा, किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदो में न किया जाय, इसके लिए सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

3- उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है।किसी भी दशा मे धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नही किया जायेगा।।

4- स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओ/कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

5- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नही की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी के अधिशासी अभियंता/अधिशासी अधिकारी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

6- स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का

(मायावती ढकरियाल)
अनुसचिव
शहरी विकास
शासन

प्रतिशत की दर से दण्ड वसूल किया जायेगा। कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

17— उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष–2006–07 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास–20 सहायक अनुदान/ अंशदान/ राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

18— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0–316/XXVII(2)/2006, दिनांक–14जुलाई,2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

सं0 65(1)/V-श0वि0–06,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तरांचल, देहरादून।
2— निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी।
3— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4— वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5— जिलाधिकारी, पौढी गढवाल।
6— वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
7— निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
8— अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद श्रीनगर, पौढी गढवाल।
9— बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10— गार्ड बुक।

(मायावती ढकरियाल)
अनुसचिव
शहरी विकास
उत्तरांचल शासन

आज्ञा से,

24.7.06

(एन0के0जोशी)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या 650/v–श0वि0–06–77(सा0)/06 दिनांक 25 जुलाई, 2006 का संलग्नक

क0सं0	कार्य का नाम	आगणन की लागत (लाख रू0 में)	टी0ए0सी0 से अनुमोदित (लाख रू0 में)
01	रामलीला मैदान श्रीनगर में सामुदायिक भवन/दुकानों का निर्माण।	166.74	105.86
02	नये बस स्टैण्ड से निरंकारी सत्संग भवन तक सी0सी0 टाईल सड़क, फुटपाथ, सुरक्षा रैलिंग, नाली एवं ह्यूम पाईप नाले का निर्माण कार्य	62.50	60.75
03	वार्ड नं0–9 में अलकनन्दा नदी के किनारे बहुपयोगी पार्क एवं एप्रोच सड़क का निर्माण।	39.17	38.17
04	वार्ड नं0 3 में अलकनन्दा विहार में पशुवधशाला के नीचे नदी तक नाला निर्माण।	29.46	28.27
	कुलयोग	297.87	233.05

(रूपये दो करोड़ तैंतीस लाख पांच हजार मात्र)

(मायावती ढकरियाल)
अनुसचिव
शहरी विकास
उत्तरांचल शासन

कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

7– योजनाओं हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण किया जायेगा। यदि भूमि की उपलब्धता एक माह के भीतर सुनिश्चित नही होती है और कब्जा प्राप्त नही होता है तो स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग नही किया जायेगा।

8– यदि उक्त कार्य अन्य विभागीय/नगर निकाय के बजट से स्वीकृत हो चुके हैं या कराये जा चुके हैं तब सम्बन्धित योजना/कार्य के लिए इस शासनादेश द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण न करके उसकी सूचना शासन को देकर आवश्यक धनराशि शासन को तत्काल समर्पित कर दी जायेगी।

9– कार्य करने के बाद कार्य स्थान पर योजना के पूर्ण विवरण के साथ अर्थात योजना की लागत, लम्बाई, कार्यदायी संस्था, ठेकेदार का नाम, प्रारम्भ करने का समय,पूर्ण करने का समय तथा वित्त पोषण के श्रोत के विवरण के साथ एक साइनबोर्ड उक्त योजना की लागत से ही लगाया जायेगा। कार्य होने की पुष्टि में कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व व पूर्ण करने के बाद कार्यदायी संस्था द्वारा ई0ओ0 के माध्यम से निदेशक को कार्य के चित्र लेकर प्रेषित किया जायेगा।

10– स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके यथाआवश्यकता ही किश्तों में आहरण किया जायेगा। शासनादेश निर्गत होने की तिथि से उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी प्राप्त करने के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

11– सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नही करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी। निर्माण एजेंसी को एकमुश्त पूर्ण धनराशि अवमुक्त न करके दो अथवा तीन किश्तों में धनराशि अवमुक्त की जायेगी और अंतिम किश्त तब ही निर्गत की जाये जब कार्य की गुणवत्ता ठीक हो, शासनादेश के मानकों के अनुरूप हो।

12– उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अविलम्ब शासन को प्रेषित किया जायेगा।

13– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टी के मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित् करें।

14– विस्तृत आगणन में ली जाने वाली दरों का अनुमोदन निकटतम लो0नि0वि0 के अधिशासी अभियन्ता से आवश्यक होगा एवं कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों का स्थल निरीक्षण उच्च अधिकारियों से करा लिया जायेगा एवं स्थल पर आवश्यकतानुसार ही कार्य किये जायेगें।

15– निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

16– जी0पी0डब्ल्यू0 फार्म–9 की शर्तों के अनुसार निर्माण ईकाई को कार्य संपादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर निर्माण ईकाई से आगणन की कुल लागत का 10

(मायावती ठकरियाल)
अनुसचिव
शहरी विकास
उत्तरांचल शासन

शासनादेश संख्या2534/v–श0वि0–06–208(सा0)/05–टी0सी0, दिनांक 25 जुलाई, 2006 का संलग्नक

क्र0सं0	कार्य का नाम	आगणन की लागत	टी.ए.सी. द्वारा अनुमोदित आगणन /स्वीकृत धनराशि
01	मार्ग के दोनों ओर नाली कवर एवं फुटपाथ का कार्य	177.70	155.40
02	मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य	274.97	246.55
03	मार्ग के मध्य डिवाईडर का कार्य	46.20	41.90
	कुल योग	497.80	443.85

(रूपये चार करोड़ तैंतालिस लाख पिचासी हजार मात्र)

(नरायण करियाल)
अनुसचिव
उत्तरांचल शासन

6– निर्माण एजेन्सी के चयन में शासनादेश संख्या 452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल 2005 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

7– यदि उक्त कार्य अन्य विभागीय/नगर निकाय के बजट से स्वीकृत हो चुके हैं या कराये जा चुके हैं तब सम्बन्धित योजना/कार्य के लिए इस शासनादेश द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण न करके उसकी सूचना शासन को देकर आवश्यक धनराशि शासन को तत्काल समर्पित कर दी जायेगी।

8– कार्य करने के बाद कार्य स्थान पर योजना के पूर्ण विवरण के साथ अर्थात योजना की लागत, लम्बाई, कार्यदायी संस्था, ठेकेदार का नाम, प्रारम्भ करने का समय,पूर्ण करने का समय तथा वित्त पोषण के श्रोत के विवरण के साथ एक साइनबोर्ड उक्त योजना की लागत से ही लगाया जायेगा।

9– स्वीकृत कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पूर्व भू–तल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा, जिसकी प्रतिलिपि शासन को भी उपलब्ध करा दी जाय।

10– सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी। निर्माण एजेंसी को एकमुश्त पूर्ण धनराशि अवमुक्त न करके चार किश्तों में धनराशि अवमुक्त की जायेगी और अंतिम किश्त तब ही निर्गत की जाये जब कार्य की गुणवत्ता ठीक हो, शासनादेश के मानकों के अनुरूप हो।

11– आगणन में उल्लिखित दरों को विश्लेषण सम्बन्धित विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

12– उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अविलम्ब शासन को प्रेषित किया जायेगा।

13– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित् करे।

14– विस्तृत आगणन में ली जाने वाली दरों का अनुमोदन निकटतम लो0नि0वि0 के अधिशासी अभियन्ता से आवश्यक होगा एवं कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों का स्थल निरीक्षण उच्च अधिकारियों से करा लिया जायेगा एवं स्थल पर आवश्यकतानुसार ही कार्य किये जायेंगे।

15– निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

16– कार्य पूर्ण होने पर इसी वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।

17– कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(नारायती ठकरियाल)
अनुसचिव
शहरी विकास
उत्तराचल शासन